



उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार
UTTARAKHAND SANSKRIT UNIVERSITY, HARIDWAR

हरिद्वार-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग,
HARIDWAR-DELHI NATIONAL HIGHWAY

पो0-बहादुराबाद (हरिद्वार) 249402

P.O. : BAHADRABAD (HARIDWAR)-249402

☎ : 01334-297022

E-mail : registrar@usvv.ac.in Website : www.usvv.ac.in

पत्रांक 351/प्रशासन/2019

दिनांक 20 जुलाई, 2019

कार्यालय ज्ञाप

विश्वविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्षों/प्रभारी विभागाध्यक्षों को सूचित किया जाता है कि मा. विद्यापरिषद् की 18वीं बैठक, दिनांक 11 जुलाई, 2019 के मद संख्या-14 के विनिश्चयानुसार यू.जी.सी. रेगुलेशन 2018 में हुए नवीन संशोधन को यथावत् लागू करते हुये अपना अनुमोदन प्रदान किया एवं यह निर्णय लिया कि उक्त रेगुलेशन सभी परीक्षाओं पर लागू होगा एवं समस्त विभागों का यह दायित्व होगा कि वह समस्त छात्रों के अभिभावकों से सम्पर्क स्थापित करते हुये उनके दूरभाष नम्बर एकत्रित कर लें।

(गिरीश कुमार अवस्थी)
कुलसचिव

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा. कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
2. उपकुलसचिव।
3. विभागाध्यक्ष/प्रभारी विभागाध्यक्ष, शिक्षाशास्त्री, हिन्दी एवं भाषा विज्ञान, साहित्य, व्याकरण, योग, ज्योतिष, वेद, पत्रकारिता, पुस्तकालय विज्ञान विभाग।
4. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्कृत महाविद्यालयों/संस्थानों के प्राचार्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. कार्यालय प्रति।

(गिरीश कुमार अवस्थी)
कुलसचिव



उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार
UTTARAKHAND SANSKRIT UNIVERSITY, HARIDWAR

हरिद्वार-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग,
HARIDWAR-DELHI NATIONAL HIGHWAY
पो0-बहादुराबाद (हरिद्वार) 249402
P.O. : BAHADRABAD (HARIDWAR)-249402

☎: 01334-297022

E-mail : registrar@usvv.ac.in Website : www.usvv.ac.in

पत्रांक 358/प्रशासन/2019

दिनांक 20 जुलाई, 2019

कार्यालय ज्ञाप

विश्वविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्षों/प्रभारी विभागाध्यक्षों एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्कृत महाविद्यालयों के प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि मा. विद्यापरिषद् की 18वीं बैठक, दिनांक 11 जुलाई, 2019 के मद संख्या-01 में मा. विद्यापरिषद् की सम्पन्न हुयी 17वीं बैठक दिनांक 19 अगस्त, 2018 के मद संख्या-08 के विनिश्चय में संशोधन करते हुये मा. परिषद् ने निर्णय लिया कि आपदा प्रबन्धन के विषय में जागरूक किये जाने के संबंध में पाठ्यक्रम के स्थान पर एक पाठयांश लिखा जाये, जिसमें शास्त्रीय विषयों के संदर्भों का भी समायोजन किया जाय।

शिक्षाशास्त्री (बी.एड.) विभाग में भी आपदा प्रबन्धन का एक प्रश्नपत्र पढ़ाया जायेगा, जो 02 क्रेडिट का होगा।

(गिरीश कुमार अवस्थी)
कुलसचिव

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा. कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
2. उपकुलसचिव।
3. विभागाध्यक्ष/प्रभारी विभागाध्यक्ष, शिक्षाशास्त्री, हिन्दी एवं भाषा विज्ञान, साहित्य, व्याकरण, योग, ज्योतिष, वेद, पत्रकारिता, पुस्तकालय विज्ञान विभाग।
4. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्कृत महाविद्यालयों/संस्थानों के प्राचार्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. कार्यालय प्रति।

(गिरीश कुमार अवस्थी)
कुलसचिव



उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार
UTTARAKHAND SANSKRIT UNIVERSITY, HARIDWAR

हरिद्वार-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग,
HARIDWAR-DELHI NATIONAL HIGHWAY
पो0-बहादुराबाद (हरिद्वार) 249402
P.O. : BAHADURABAD (HARIDWAR)-249402
☎: 01334-297022

E-mail : registrar@usvv.ac.in Website : www.usvv.ac.in

पत्रांक 359 / प्रशासन / 2019

दिनांक 20 जुलाई, 2019

कार्यालय ज्ञाप

विश्वविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्षों/प्रभारी विभागाध्यक्षों एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्कृत महाविद्यालयों के प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि मा. विद्यापरिषद् की 18वीं बैठक, दिनांक 11 जुलाई, 2019 के मद संख्या-01 में मा. विद्यापरिषद् की सम्पन्न हुयी 17वीं बैठक दिनांक 19 अगस्त, 2018 के मद संख्या-13 के विनिश्चय में संशोधन करते हुये निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में परम्परागत विषय में प्रवेश लेने वाले छात्रों को गुणवत्ता की दृष्टि से संस्कृत प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम प्रवेश के 06 महीने अधिकतम 01 वर्ष द्वितीय सेमेस्टर में उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा एवं आधुनिक विषय के छात्रों के लिये संस्कृत प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम को पूर्ण सप्तयावधि में उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तभी वह उपाधि हेतु अर्ह होंगे।

उक्त पाठ्यक्रम को साहित्य एवं व्याकरण विभाग द्वारा तैयार किया जायेगा तथा इस पाठ्यक्रम की पठन-पाठन की व्यवस्था भी उक्त दोनों विभागों द्वारा की जायेगी।

(गिरीश कुमार अवस्थी)
कुलसचिव

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा. कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
2. वित्त अधिकारी।
3. उपकुलसचिव।
4. विभागाध्यक्ष/प्रभारी विभागाध्यक्ष, शिक्षाशास्त्री, हिन्दी एवं भाषा विज्ञान, योग, ज्योतिष, वेद, पत्रकारिता, पुस्तकालय विज्ञान विभाग।
5. विभागाध्यक्ष साहित्य एवं व्याकरण विभाग को इस आशय के साथ प्रेषित की वे उक्त पाठ्यक्रम को तैयार कर विश्वविद्यालय में पठन-पाठन की व्यवस्था भी करना सुनिश्चित करें।
6. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्कृत महाविद्यालयों/संस्थानों के प्राचार्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. कार्यालय प्रति।

(गिरीश कुमार अवस्थी)
कुलसचिव



उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार
UTTARAKHAND SANSKRIT UNIVERSITY, HARIDWAR

हरिद्वार-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग,
HARIDWAR-DELHI NATIONAL HIGHWAY
पो0-बहादुराबाद (हरिद्वार) 249402
P.O. : BAHADRABAD (HARIDWAR)-249402
☎: 01334-297022

E-mail : registrar@usvv.ac.in Website : www.usvv.ac.in

पत्रांक 360/प्रशासन/2019

दिनांक 20 जुलाई, 2019

कार्यालय ज्ञाप

विश्वविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्षों/प्रभारी विभागाध्यक्षों एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कतिपय संस्कृत महाविद्यालयों/कॉलेजों/संस्थानों के प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि मा. विद्यापरिषद् की 18वीं बैठक, दिनांक 11 जुलाई, 2019 के मद संख्या-01 के विनिश्चयानुसार विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग के अन्तर्गत संचालित बी.जे. पत्रकारिता, एम.जे. पत्रकारिता पाठ्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है।

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध जिन-जिन संस्थानों को बी.जे. पत्रकारिता, एम.जे. पत्रकारिता पाठ्यक्रमों में अस्थाई सम्बद्धता/मान्यता दी गयी है उनके भी सत्र 2019-20 से प्रवेश स्थगित कर दिये गये हैं। इनके स्थान पर मात्र आचार्य (एम.ए.) पत्रकारिता पाठ्यक्रम ही पढाया जायेगा।

(गिरीश कुमार अवस्थी)
कुलसचिव

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा. कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
2. उपकुलसचिव।
3. विभागाध्यक्ष/प्रभारी विभागाध्यक्ष, शिक्षाशास्त्री, हिन्दी एवं भाषा विज्ञान, साहित्य, व्याकरण, योग, ज्योतिष, वेद, पत्रकारिता, पुस्तकालय विज्ञान विभाग।
4. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कतिपय संस्कृत महाविद्यालयों/कॉलेजों/संस्थानों के प्राचार्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. कार्यालय प्रति।

(गिरीश कुमार अवस्थी)
कुलसचिव